Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर कपासन**		मुकाम **राजीव गांधी सेवा केन्द्र मुंगाना**	
कालुसिंह	बनाम	**कल्याणसिंह**	
किस्मा मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट0**	नं0 21	सन्	**2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2023	वकील प्रार्थीगण व प्रार्थीगण ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र मुंगाना में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर बहस एक तरफा बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, प्रार्थीगण ने बताया कि मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 92 रकबा 0.01 हैक्ट0, आराजी संख्या 93 रकबा 0.17 हैक्ट0 कृषि भूमि के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थीगण की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा मुंगाना पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 92 रकबा 0.01 हैक्ट0, आराजी संख्या 93 रकबा 0.17 हैक्ट0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) [illegible] कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका क[illegible] [illegible]क्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का [illegible] [illegible] जावेगा मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया। (अर्चना बुगालिया) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते